

13-आय-व्ययक (बजट)

क्र०सं०	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	कार्य नियमावली, 1975 के नियम 4 (2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	सं०-477/xxvii(1)/2011 दिनांक: 11 अगस्त, 2011	223-224
2	प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन।	सं०:-125/xxvii(1)/2012 दिनांक: 12 मार्च, 2012	225-226
3	आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट का आवंटन सुनिश्चित किया जाना।	सं०:-183/xxvii(1)/2012 दिनांक: 28 मार्च, 2012	227-228
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 के भाग- 2-4 के मूल नियम 56 (क) में संशोधन।	सं०:-07/xxvii(7)54/2012 दिनांक: 06 जून, 2012	229-230

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 11 अगस्त, 2011

विषय:- कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:- 54/xxvii(1)/2005 दिनांक: 15 जनवरी, 2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्य नियमावली, 1975 (Rules of Business) के नियम-4(2) के उप नियम क,ख,ग, तथा घ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया था। नियम 4 (2) की व्यवस्था निम्नवत् है:-

4(2)- जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने या निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समावृत्त न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा-

- (क) जिससे राजस्व का परित्याग सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो,
- (ख) जिससे भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अभ्यर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान पट्टा या अनुज्ञापति या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई सुखाचार या विशेषाधिकारी सन्निहित हो,
- (ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ते या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित हो,
- (घ) जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहे उसमें व्यय सन्निहित हो या नहीं,


स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण भी जिनमें व्यय सन्निहित न हो परन्तु अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

कार्य नियमावली की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा पदों के सृजन, वेतनमान संशोधन/उच्चीकरण तथा राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि के अग्रिम आहरण तथा अन्य प्रकरणों जिनमें वित्तीय उपाशय निहित होता है पर वित्त विभाग के परामर्श एवं पूर्व सहमति के बिना माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। इससे जहाँ एक ओर कार्य नियमावली में उल्लिखित व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन लागू करने में कठिनाई होती है। उच्च स्तर से अनुमोदन के बाद यदि प्रस्ताव के औचित्य पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियम के परिवेश में सहमति दिया जाना सम्भव नहीं होता तब वित्त विभाग के समक्ष असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः कार्य नियमावली के नियम 4(2) की व्यवस्थाओं के अनुरूप वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण जो अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श अनिवार्य रूप से पहले प्राप्त किया जाये।

भविष्य में उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

भवदीय


  
(सुमाश कुमार)  
मुख्य सचिव।

संख्या:-4770/xxvii(1)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्मवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरोय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2012

विषय :- प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या-664/XXVII(1)/2011 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार राज्य के राजस्व व्ययों को नियंत्रित किये जाने की समयबद्ध प्रतिबद्धता है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति (Rush of Expenditure) को नियंत्रित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में शासन/विभाग/कोषागार स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय -

1. बजट मैनुअल के प्रस्तर-141 के अनुसार सभी अन्तिम बचतों को दिनांक 25 मार्च, 2012 तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित (सरेन्डर) किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. 20 मार्च, 2012 के बाद प्रस्तुत किसी भी प्रकार के देयक कोषागार द्वारा चैक निर्गत करने हेतु स्वीकार न किये जाय।
3. वेतन मद में माह मार्च, 2012 में केवल माह फरवरी, 2012 के वेतन का ही भुगतान बजट प्राविधान के अन्तर्गत एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से किया जाय। वेतन एवं अन्य वचनबद्ध मद के एरियर का भुगतान पुनर्विनियोग के माध्यम से नहीं किया जाय तथा इसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

4. सामाग्री कय मद में केवल वहीं देयक भुगतान हेतु कोषागार द्वारा स्वीकार किये जाय जिनके कयादेश 31 जनवरी, 2012 से पूर्व जारी किये जा चुके हो।

उक्त प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार, वाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा केन्द्रीय संस्थाओं आदि से प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों पर लागू नहीं होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)  
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 125 (1)/XXVII(1)/2012 एवं तदनुदेनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(डा0 एम0 सी0 जोशी)  
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
अपर मुख्य सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 28 मार्च, 2012

**विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर से साफ्टवेयर के माध्यम से बजट का आवंटन सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सदन से वार्षिक आय-व्ययक अनुमानों के पारित होने के उपरान्त स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक के खर्चों के लिये बजट का आवंटन मैनुअल रूप से किया जाता है। शासन के वित्त विभाग व प्रशासनिक विभागों के स्तर पर बजट प्राविधान के सापेक्ष आवंटन एवं व्यय/बचत के आंकड़े त्वरित आधार पर उपलब्ध न हो पाने एवं सुदृढ़ तकनीकी व्यवस्था के अभाव में त्रुटि की संभावना बनी रहती है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में बजट आवंटन एवं नियंत्रण के लिये एन0आई0सी0 के सहयोग से निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें के डेटा सेंटर द्वारा बजट आवंटन का साफ्टवेयर विकसित किया गया है। अतः समस्त प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रक अधिकारीगणों को तथा बजट नियंत्रक अधिकारीगण अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से उक्त साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साफ्टवेयर पर बजट आवंटन वेबसाइट [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में मैनुअल बजट आवंटन कोषागार/उपकोषागार स्तर पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक 1.4.2012 से वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से पासवर्ड के आधार पर सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रक अधिकारी-विभागाध्यक्षों को उक्त साफ्टवेयर से बजट आवंटन करने के पश्चात बजट आवंटन की हार्ड कापी कोषागारों/उपकोषागारों को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को साफ्टवेयर पर बजट आवंटन करने के उपरान्त इसका प्रिन्ट लेकर एवं हस्ताक्षर करके हस्ताक्षरित प्रति सम्बन्धित कोषागारों/उपकोषागारों को भेजेंगे। सम्बन्धित कोषागार अधिकारी/उपकोषाधिकारी आवंटित बजट की उक्त हार्ड कापी में दर्शाये गये बजट का अंकन/सत्यापन सेंट्रल सर्वर पर करेंगे अर्थात् केवल वेब आधारित आवंटन ही फीड होगा तथा उसके विरुद्ध उनके आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बिलों का आहरण किया जायेगा।


बजट मैनुअल की व्यवस्थाओं के अनुरूप विभागों में बजट आवंटन नियंत्रण संबंधी कार्य विभाग में पदस्थ वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन संबंधी आदेश विभागों/अधिष्ठानों में पदस्थ वरिष्ठतम वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी किये जाएंगे।

उक्त प्रक्रिया के लागू होने से प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रकों के स्तर से राज्य के 3686 आहरण वितरण अधिकारियों को तथा 86 कोषागारों/उपकोषागारों में बजट आवंटन एवं अनुश्रवण का कार्य उक्त साफ्टवेयर से किये जाने पर जहाँ अत्यधिक सुविधा होगी वहीं बजट आवंटन में पारदर्शिता एवं शुद्धता रहेगी। प्रस्तावित साफ्टवेयर से कपटपूर्ण बजट आवंटन की संभावना भी समाप्त हो जायेगी।

भविष्य में बजट आवंटन सम्बन्धित अधिकारी के डिजिटाइज्ड हस्ताक्षर से जारी किया जाना प्रस्तावित है अतः सभी प्रशासनिक विभाग विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर Finance Data Centre, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला पर सम्पर्क किया जा सकता है जहाँ का टोल फ्री नम्बर 1800-266-2277 एवं कार्यालय का दूरभाष नम्बर 0135-2650904 है।

कृपया दिनांक 01-4-2012 से उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीय,

  
(आलोक कुमार जैन)  
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 183(I)/XXVII(I)/2012 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार,उत्तराखण्ड।
- 2-मुख्य स्थानीय आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 3-निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4-मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड।
- 5-निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड एकक,सचिवालय परिसर,देहरादून।
- 6-समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
- 7-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/  
वित्त अधिकारी केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषाधिकारी।

  
(आर0 सी0 अग्रवाल)  
अपर सचिव वित्त।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7  
संख्या 07/xxvii(7)54/2012  
दहरादून, दिनांक: 6 जून, 2012

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 के भाग -2-4 में दिये गये मूल नियमों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

वित्तीय नियम संग्रह उत्तराखण्ड (संशोधन) नियमावली, 2011

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(एक) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम वित्तीय नियम संग्रह उत्तराखण्ड (संशोधन) नियमावली, 2011 है।  
(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- मूल नियम 56(क) का संशोधन 2-वित्तीय हस्त पुस्तिका, 1942 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) में स्तम्भ-1 में दिये गये यथा संशोधित मूल नियम-56(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

56(क) इस नियम के अन्य खण्डों में अथवा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा संशोधित नियम

56(क) इस नियम के अन्य खण्डों में अथवा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, और ऐसे सरकारी सेवा की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को होगी तथा यदि किसी सरकारी सेवक की जन्मतिथि प्रथम तिथि से भिन्न हो वह उस मास के पूर्ववर्ती दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, और उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि उस मास के अन्तिम दिवस को होगी;

परन्तु, यह और कि विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु अधिकतम 11 माह तक का सेवाविस्तार ऐसे पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को अनुमन्य होगा जो अध्यापन कार्य में निरन्तर संलग्न हों, किन्तु श्रेणी-2 से नीचे के पदों पर कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक के सेवा विस्तारण के मामलों पर विचार एवं उपर्युक्त निर्णय के लिए संबंधित पद के नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होंगे तथा शेष के संबंध में शासन की सहमति अपेक्षित होगी;

परन्तु, यह भी कि राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष होगी।


आज्ञा से

(राधा स्टूडी)  
सचिव वित्त।



संख्या : ०७ (1) / XXVII(7)54 / 2012 तददिनांक  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, उत्तराखण्ड को आगामी असाधारण गजट में 500 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव।